शा० संख्या सा-4-1752/दस-200 (2)-77 (वित्त-सा०)

दिनांक, 20 जून, 1978

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का उदारीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत किये जाने के लिए वित्तीय नियमावली खण्ड 2 भाग-2-4 के सहायक नियम 89, 90 तथा 91 में निहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये चैकित्सिक परीक्षण हेतु चिकित्सा परिषद् के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है । ऐसे मामलों को छोड़कर जो उपरोक्त नियमावली के सहायक नियम 93 के अन्तर्गत आते हैं, राजपत्रित अधिकारियों को केवल चिकित्सा परिषद् की संस्तुति पर ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है और उसके अभाव में उन्हें एक दिन का भी चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता । चिकित्सा परिषद् की बैठक उसके मुख्यालय पर महीने में केवल एक बार होती है । जो राजपत्रित अधिकारी अपनी अस्वस्थता के कारण चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश उपभोग करना चाहते हैं उन्हें चिकित्सा परिषद् की अगली बैठक तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है भले ही इस बीच में वे स्वस्थ हो गये हों और अपने कार्य पर वापस आना चाहते हों, क्योंकि ऐसा न करने पर चिकित्सा परिषद् की संस्तुति के अभाव में उन्हें चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता और उन्हें अन्य अवकाश लेना पड़ता

है। यदि उन्हें उतना अर्जित अवकाश देय न हुआ तो अर्द्ध औसत वेतन पर अवकाश/तथा/अथवा निर्वेतन असाधारण अवकाश लेना पड़ता है जिससे उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। राजपत्रित अधिकारियों को इस विषय में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से शासन द्वारा उपरोक्त नियमों के प्राविधानों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त नियमों का उदारीकरण करते हुए उनमें समुचित संशोधन कर दिया जाय। अतः राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि ऐसे मामलों में जहाँ सहायक नियम 89 के अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी/प्राधिकृत चिकित्सा (Authorised Medical Attandant), जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र में संस्तुत अवकाश की अवधि तीन मास से अधिक न हो तथा मुख्य चिकित्साधिकारी/प्राधिकृत चिकित्सक (Authorised Medical Attandant) यह प्रमाणित करें कि उनकी राय में सम्बन्धित अधिकारी को चैकित्सिक परीक्षण हेतु चिकित्सा परिषद् के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, वहां सक्षम अधिकारी द्वारा राजपत्रित अधिकारियों को मुख्य चिकित्साधिकारी/प्राधिकृत चिकित्सा के चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर ही अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय। ऐसे मामलों में जहां मुख्य चिकित्साधिकारी/अधिकृत चिकित्सक यह प्रमाणित करें कि उनकी राय में सम्बन्धित अधिकारी को चैकित्सिक परीक्षण हेतु चिकित्सा परिषद् के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है अथवा जहां सहायक नियम 89 के अधीन संस्तुति अवकाश की अवधि तीन मास से अधिक है अथवा तीन मास या उससे कम की अवधि को बढ़ा देने की संस्तुति की गई है और इस प्रकार अवकाश की कुल अवधि तीन मास से अधिक हो गयी है वहां चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश उपरोक्त नियमों में निहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए चिकित्सा परिषद् की संस्तुति पर ही स्वीकृत किया जायेगा।

2—राज्यपाल महोदय ने सहायक नियम 89, 90 तथा 91 को संलग्नक के स्तम्भ 2 के अनुसार संशोधित किये जाने के आदेश भी सहर्ष प्रदान किये हैं।

3—राज्यपाल महोदय ने उपरोक्त नियमावली के सहायक नियम 36 के अधीन सहर्ष यह भी आदेश प्रदान किये हैं कि समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को तीन मास तक की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे।

4—उपरोक्त आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1978 से प्रभावी होंगे।

———

वित्त सचिव